संलग्न क्र.4

कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के विस्तार एम.एस. इंगाट्स/बिलेट उत्पादन को मौजूदा 03 गुणा 10 टन को 3 गुणा 12 टन इंडक्शन फर्नेस के साथ प्रतिस्थपन और अतिरिक्त 1 गुणा 12 टन की स्थापना, 58,360 से बढ़ाकर 1,68,000 टीपीए करना एवं रोलिंग मिल की स्थापना से 1,56,000 टीपीए रोल्ड उत्पादों के उत्पादन और 1 गुणा 4 एमव्हीए + 1 गुणा 2.5 एमव्हीए सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस की स्थापना से 16,300 टीपीए फेरो एलाय (अधिकतम) या 27,300 टीपीए पिग आयरन या किसी के संयोजन के उत्पादन की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 03 नवम्बर 2022 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के विस्तार एम.एस. इंगाट्स/बिलेट उत्पादन को मौजूदा 03 गुणा 10 टन को 3 गुणा 12 टन इंडक्शन फर्नेस के साथ प्रतिस्थपन और अतिरिक्त 1 गुणा 12 टन की स्थापना, 58,360 से बढ़ाकर 1,68,000 टीपीए करना एवं रोलिंग मिल की स्थापना से 1,56,000 टीपीए रोल्ड उत्पादों के उत्पादन और 1 गुणा 4 एमव्हीए + 1 गुणा 2.5 एमव्हीए सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस की स्थापना से 16,300 टीपीए फेरो एलाय (अधिकतम) या 27,300 टीपीए पिग आयरन या किसी के संयोजन के उत्पादन की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 03.11.2022, दिन–गुरूवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं आशीष तिवारी, प्रबंधक द्वारा बताया गया कि हमारे प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

की आवश्यकता है तदैव इस हेतु हमने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को आवेदन किया जिसके तारतम्य में हमारी परियोजना हेतु स्टैण्डर्ड टी ओ आर जारी किया गया है। उपरोक्त टी ओ आर के संदर्भ में हमारे ईआईए कंस्ल्टेंट मेसर्स वरदान एनवायरोनेट ने उद्योग परिसर से 10 किमी. त्रिज्या के अध्ययन क्षेत्र में बेसलाईन डाटा का अध्ययन किया। आप सबके द्वारा इस जन परामर्श सभा में उपस्थिति हेतु समय देने के लिए प्रबंधन की ओर से श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित प्रदान करेंगे मैं पीठासीन अधिकारी जी की अनुमति से उन्हें परियोजना तथा ईआईए के संबंध में जानकारी प्रदन करने आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। कंसलंटेंट श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित द्वारा बताया गया कि मेसर्स बांके बिहारी इस्पात प्रा. लिमिटेड द्वारा प्लांट क्रमांक 174--एच, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ में कुल 02 हेक्टेयर भूखंड पर स्थापित एवं संचालित स्टील इकाई का क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना में वर्तमान स्थापित इण्डक्शन फर्नेस एवं सीसीएम से 58,360 टन प्रतिवर्ष एमएस बिलेट, उत्पादन को बढ़कार 1,68,000 टन प्रतिवर्ष एमएस बिलेट उत्पादन करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 1,56,000 टन प्रतिवर्ष हॉट चार्जिंग आधारित रि रोल्ड स्टील प्रोडक्ट की परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। इसके साथ सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस द्वारा 16,300 टन प्रतिवर्ष फेरो एलॉय/या 27300 टन प्रतिवर्ष पिग आयरन या इनका कोई कॉम्बीनेशन उत्पादन की परियोजना प्रस्तावित है। इस क्षमता विस्तार परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली कों टी.ओ.आर. के लिए आवेदन किया गया जिसकी अनुक्रिया में दिनांक 28 दिसंबर 2021 को स्टैण्डर्ड टीओआर प्राप्त किया। मेसर्स वरदान एनवायरमेंट, गुरूग्राम ने तीन माह (01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021) के बेसलाईन डाटा संकलन कर टीओआर के सन्दर्भों के आधार पर ईआईए रिपोर्ट बनाई जिसके लिए आज जन सुनवाई रखी गई है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना की अतिरिक्त लागत 14.85 करोड़ रूपये अनुमानित है। क्षमता विस्तार पश्चात् परियोजना में जल की आवश्यकता 335 किली. प्रतिदिन होगी जिसकी पूर्ति भूमिगत जल से की जायेगीं। इस हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ही भू जल प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अनुसार आवश्यक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निष्पादित की जायेगी तथा फ्रेश जल की आवश्यकता को कम करने हेतु क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा, जिससे जल की आवश्यकता कम से कम हो। घरेलू दूषित जल को एसटीपी के माध्यम से उपचारित कर ग्रीनबेल्ट, स्लैग क्वेंचिंग आदि उपयोगी गतिविधियों में प्रयोग किया जायेगा। शून्य निस्त्राव का सदैव पालन किया जावेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना पश्चात् 25 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता अनुमानित है जिसकी पूर्ति जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा प्रदाय की जाने वाली विद्युत से किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 750 केव्हीए का डीजी सेट भी प्रस्तावित है। पर्यावरण पर संभावित प्रभावों के शमन हेतु पर्यावरण प्रबंधन कार्यों में लगभग 1.5 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिससे प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के स्थापना एवं संचालन से आसपास के क्षेत्र में प्रभाव नगण्य हो सकेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के पश्चात् कुल प्रत्यक्ष रोजगार 181

व्यक्तियों हेतु उत्पन्न होगा। जिसमें प्राथमिकता से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना से आसपास के क्षेत्र में 500 अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनायें विकसित होंगी। परियोजना में कुल भूमि का लगभग 33 प्रतिशत भू भाग 0.66 हेक्टेयर ग्रीनबेल्ट के रूप में चिन्हिंत किया गया है, जिसमें 1200 पेड़ लगे हुए है। इसके अतिरिक्त परियोजना के बाहर भी वृक्षारोपण किया जावेगा। जिसमें नीम, अमलतास, शीशम, बेल, जामुन और करंज इत्यादि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष शामिल होंगे। वरदान एनवायरमेंट ने परियोजना के 10 कि.मी. त्रिज्या के क्षेत्र में जल, वायु, मृदा, ध्वनि, जीव जंतु, वनस्पति तथा पक्षियों का अध्ययन किया साथ ही आसपास के पर्यावरणीय संवेदनशील संरचनाओं अर्थात जल निकायों, उद्योगों, स्कूलों, मंदिरों, स्वास्थ्य केन्द्रों का भी अध्ययन किया। परियोजना स्थल पर प्रमुख वायु की दिशा पूर्वोत्तर, दूसरी प्रमुख दिशा पूर्व उत्तर पूर्व पाई गई। 08 विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच की गई सभी नमूनें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। इसके अतिरिक्त गणितीय मॉडल से वायु पर परियोजना के प्रभावों का भी आंकलन किया गया जिसमें भी सांद्रता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गई तथा कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होना नहीं पाया गया। इसी प्रकार ध्वनि के 8 स्थानों पर तथा सतही जल का 8 स्थानों से तथा भूमिगत जल का 8 स्थानों से तथा मृदा के 8 स्थलों से नमूने लिए गये। सभी नमूने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। बैक्टीरियोलॉजिकल रूप से सतही जल के सभी नमूने दूषित थे और घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग करने से पहले क्लोरीनीकरण या कीटाणुशोधन उपचार के बाद जल उपचार की व्यवस्था है। जबकि भूजल के नमूने बैक्टीरियोलॉजिकल रूप से दूषित नहीं थे। 10 किमी के दायरे की भू उपयोग का भी अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में लगभग 57 प्रतिशत वन भूमि है। इसके अलावा खुले मैदान 30 प्रतिशत, कृषि भूमि 08 प्रतिशत है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना एक शून्य निस्त्राव परियोजना होगी तदैव आसपास के जल पर्यावरण में प्रभाव संभावित नहीं है। परियोजना में दूषित जल के उपचार हेतु एसटीपी का निर्माण किया जावेगा तथा उपचारित जल को प्रक्रिया, ग्रीनबेल्ट में, क्वेंचिंग धूल शमन आदि में उपयोग किया जावेगा। परियोजना से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की जावेगी जिसमें जेट पल्स, बैग फिल्टर, उचित उंचाई की चिमनी का प्रावधान किया जा रहा है तथा धूलकण उत्सर्जन का स्तर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के भीतर ही नियंत्रित किया जावेगा तदैव आसपास के परिवेशीय वायु में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार परियोजना से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का भी उचित प्रकार से निराकरण किया जावेगा अधिक से अधिक पुर्नउपयोग किया जावेगा। परियोजना हेतु सीईआर के अंतर्गत व्यय को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार जन सुनवाई के दौरान जल समुदाय के अपेक्षा अनुसार निर्धारित कर किया जावेगा। तदैव आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपने सीएसआर दायित्व का भी पालन करेगी। उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार

परियोजना द्वारा सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण के उपायों एवं पर्यावरणीय प्रबंधन कार्ययोजना के निष्पादन से आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रभाव नगण्य होगा। यह परियोजना देश के आर्थिक विकास में योगदान देगी, समाज के लिए लाभदायक होगी। कुछ हद तक स्टील की मांग आपूर्ति का अंतर को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 700–800 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 113 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. सिद्धेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
2. मोहन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. प्रकाश, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. नेतराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. जॉली, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. अनील, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. अनील, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. बीरू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. परसराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. धरम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. आनंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. रवि, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

13. श्याम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. साहेब – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. मांझी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. गौरी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. जानकी, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. अंबिका, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. उर्मिला, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. शरन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. किरण, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. नर्मदा, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. कुशमारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
24. संपत्ति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. सुकांति, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समंर्थन है।
26. गुरमेत, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. मीरा, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. कलावती, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. ललिता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. तलेश्वरी, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
31. यादिनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. सुनिता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. सरिता, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. प्रेमिका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. बेबी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. कुमारी, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. कमला, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
38. रामबाई, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
39. श्वेता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
40. तिलात – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
41. निशा, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

42. संगीता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
43. तेजेश्वनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
44. रामदयाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
45. उसितराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
46. पुरन, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
47. दिनो कुमार, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
48. बुधेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
49. लक्ष्मी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
50. गोविंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
51. मनमोहन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
52. देवलाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
53. हेमलाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
54. शनिराम, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
55. रंजन, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
56. रामनिवाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
57. मनोज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
58. उज्जवल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
59. तिहारू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
60. केशव, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
61. राधेश्याम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
62. अनमोल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
63. सीमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
64. सकीना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
65. गीता, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
66. गदगद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
67. निलम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
68. मिथिला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
69. कुशुम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
70. पुष्पा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

71. सावित्री, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
72. सुमन, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
73. उर्मिला, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
74. उषा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
75. कमला, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
76. गुलावती, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
77. दीपिका, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
78. सावित्री – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
79. ममता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
80. अंजना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
81. भानुमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. मीरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
83. जया – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. मदन, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. संतोष – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
86. सुखलाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. सलीम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. अजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. जाहीर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
90. विरेन्द्र, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. विजय, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
92. फलकराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
93. अभिमन्यु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
94. अमोद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
95. खिरोधर पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
96. विरेन्द्र, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
97. गुलाब, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
98. प्रभात – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
99. आकाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

100. हेमलाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
101. संतोष – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
102. मनीष – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
103. हेमप्रसाद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
104. कैलाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
105. प्रमिला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
106. समिरो – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
107. जमुना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
108. राजनोनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
109. वर्षा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
110. बिंदु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
111. शकुंतला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
112. रीना, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
113. श्यामबाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
114. अंजली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
115. सचिता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
116. रश्मि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
117. सरस्वति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
118. ईतवारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
119. गोरी बाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
120. मीना, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
121. लता, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
122. सोनामति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
123. सविता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
124. राधिका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
125. घुराई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
126. चुनमुनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
127. सोनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
128. रिजेश तिर्की – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

129. अनिश्का – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

130. सुखनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

131. बुधियारिन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

132. जयमाला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

133. सुखमनि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

134. लीला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

135. लीला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

136. प्रियंका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

137. ममता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

138. कमला, तुमीड़ीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

139. गायत्री, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

140. लक्ष्मी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

141. रामकुमारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

142. तिजमती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

143. पदमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

144. ज्योति, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

145. मंजू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

146. पार्वती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

147. शकुंतला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

148. उर्मिला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

149. सविता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

150. नीरा, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

151. गुड़िया, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

152. गीता, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

153. पुष्पा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

154. उमा, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

155. लता, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

156. रीतु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

157. निर्मला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

158. संगीता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
159. सुमित्रा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
160. सरिता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
161. सुखनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
162. मिलन देवी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
163. बंदना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
164. सुशीला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
165. रीतु, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
166. संगीता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
167. सुखमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
168. रूकमणी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
169. संतोषी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
170. माधुरी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
171. संगीता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
172. पिंकी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
173. श्रद्धा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
174. जयकुमारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
175. अनिता, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
176. माधुरी, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
177. पदमा, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
178. रमिदेवी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
179. काजल, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
180. जुगति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
181. रानी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
182. राजकुमारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
183. पदमावती, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
184. लक्ष्मी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
185. गीता, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
186. रामवति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

187. मंगला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

188. पिंकी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

189. सुषमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

190. रश्मि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

191. पिंकी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

192. पियासो – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

193. सुमित्रा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

194. शकुंतला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

195. सुमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

196. मंगली, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

197. करीना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

198. फुलमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

199. आरती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

200. प्रफुल्ला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

201. अगुस्टिना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

202. रंगवति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

203. रेखा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

204. श्मिता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

205. देवमती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

206. रूकमणी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

207. शशिकला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

208. शनिदेवी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

209. सुशीला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

210. केरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

211. पुसाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

212. कांति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

213. शशिकला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

214. गुरबारी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

215. बालमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

216. रविना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

217. भगवति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

218. ईशिका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

219. मनियारो – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

220. राजमति, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

221. राधिका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

222. त्रिवेणी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

223. सोनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

224. निशा, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

225. सुमन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

226. फुंकी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

227. रूकमणी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

228. मोती, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

229. गोमति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

230. पारू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

231. मीना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

232. सुमन, पूंजीपथरा – मालिक से निवेदन करती हूँ कि पानी की दिक्कत है उसके लिये आवेदन करती हूँ।

233. सुनिता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

234. जनबाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

235. बिंदेश्वरी, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

236. संतोषी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

237. गीता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

238. अनिता, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

239. चंपा, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

240. जया – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

241. राजकुमारी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

242. लक्ष्मी, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

243. ललिता, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

244. शीतल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

245. शांति, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

246. रशिता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

247. अंजना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

248. रीना, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

249. अगुस्टिना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

250. राजेश, गेरवानी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

251. श्यामपाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

252. किशन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

253. चंदू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

254. बसंत – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

255. आनंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

256. दीपक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

257. मोनू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

258. सहदेव – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

259. प्रितम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

260. हरितराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

261. अर्जुन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

262. राम, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

263. उमेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

264. केदार, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

265. अनिल, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

266. दीपक, कचकोबा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

267. राजू, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

268. संजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

269. कुलदीप – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

270. जग्गु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

271. बिरबल, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

272. कुलेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

273. मदन, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

274. धरनीराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

275. कष्टुराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

276. राजाराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

277. जयंत सिंह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

278. नीलावती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

279. सुमित्रा, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

280. मनिराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

281. अभय, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

282. जुगुदास, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

283. सुनील, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

284. भुवन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

285. गोपाल, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

286. गितेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

287. राहित – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

288. चंद्रसंशी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

289. रवि, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

290. मुन्ना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

291. अंकुश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

292. ललित – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

293. आनंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

294. मोहन, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

295. शांता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

296. रविशंकर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

297. नरेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

298. रतन, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

299. इंदर कुमार – तीन महिने से पेमेंट नहीं दे रहा है तो मैं कैसे जिउंगा, बांके बिहारी में काम करता हूँ।

300. मुलाराम, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

301. देवेन्द्र – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

302. विनय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

303. अमरजित सिंह, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

304. अहमद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

305. प्रमोद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

306. अजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

307. सेवाबाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

308. राजू, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

309. चोलेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

310. जयकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

311. दयाराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

312. रवि, गेरवानी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

313. राज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

314. विनय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

315. विवेक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

316. करमु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

317. दीपक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

318. दयाराम, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

319. फिरत, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

320. गजेन्द्र – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

321. आलोक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

322. शिवकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

323. सूरज, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

324. राधे, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

325. आनंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

326. रमाशंकर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

327. शिवप्रसाद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

328. भवानी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

329. उमा, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

330. देवकी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

331. रूपाई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

332. सुमति, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

333. राधा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

334. हिरोंजि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

335. रामवति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

336. कुश, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

337. नरोत्तम, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

338. रोनल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

339. शंकर, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

340. उमेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। जितने भी है सभी हमारे गांव से है उद्योग वाले का व्यवहार मंत्री बनने के योग्य है।

341. फुलधर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

342. अभिमन्यू, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। पेमेंट को दे दो। हमारे रोड में पानी मरवा दीजिये डस्ट उड़ता है।

343. अजय, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

344. अमित, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

345. प्रेमप्रकाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

346. तेजराम, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

347. कार्तिक, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

348. शिवा, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

349. रामु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

350. पंचराम, सामारूमा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

351. देवाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

352. राजकुमार, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

353. निर्मल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

354. तेजकुंअर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

355. युवराज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

356. सूरज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

357. समारू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

358. जगतराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

359. तिलक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

360. दिव्या, छर्राटांगर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

361. मीना – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

362. हेमलता, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

363. लक्ष्मी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

364. पूजा, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

365. पूजा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

366. प्रियंका – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

367. सविता – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

368. पार्वती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

369. गुड़िया – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

370. वृंदावती – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

371. चंद्रहास– श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

372. खुसीराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

373. शिवा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

374. भुवनेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

375. शुभम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

376. आकाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

377. प्रदीप – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

378. साई – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

379. सुरेश यादव – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। लोकल को काम दे और प्रदूषण को ध्यान दे।

380. लोकनाथ – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का रामर्थन है।

381. केशव – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

382. सूरज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

383. अक्षय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

384. निराकार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

385. निलकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

386. अनिल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

387. गोपाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

388. दशरथ – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

389. निरज, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

390. राजेश, तुमीडीह – हम लोग बच्चे को सरकारी में पड़ा रहे है। सड़क का निर्माण करना चाहिये।

391. राज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

392. सनांतन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन हैं।

393. मोहन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

394. पुष्पा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

395. पदमनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

396. बसंती, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

397. शांति – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

398. शालिनी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

399. सानिया – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

400. सुनिता, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

401. सुनाई, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

402. मीरा, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

403. तेजकुमारी, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

404. निर्मला – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

405. इंदरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

406. रथकुंवर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

407 प्रहलाद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

408. उमेश, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

409. राज सोनी, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

410. युवराज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

411. श्रद्धा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

412. प्रेमसागर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

413. दुखीचंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

414. करमु – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

415. शिवकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

416. संजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

417. रामश्याम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

418. शिवकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

419. दिलीप – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

420. विश्वनाथ – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

421. राजेश, तराईमाल -- श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

422. गुरविंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

423. सुरेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

424. राजू, पूंजीपथरा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

425. देवसाय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

426. चितेश्वर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

427. मिथलेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

428. हरसल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

429. देवेन्द्र – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

430. हेमंत – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

431. मोतीलाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

432. अजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

433. विकास – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

434. शनिराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

435. रामप्रसाद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. नरेन्द्र – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. बलराम, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. सुभाष – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

439. राजा – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

440. लक्ष्मी प्रसाद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

441. खीरसाय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

442. मनीष – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

443. सूरज कुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

444. सीताराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

445. अनिल, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

446. योगेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

447. बसंत, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

448. विमल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

449. प्रदीप – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

450. दिलीप – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

451. पप्पू – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

452. नरेश, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

453. अनिकेत – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

454. गंगाचरण – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

455. विनोद, तराईमल– श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

456. कृष्णकुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

457. धनंजय – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

458. बल्लब – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

459. सूरज – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

460. गोपाल, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

461. मुकेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

462. मोहन, चिराईपानी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

463. संतराम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

464. उमाशंकर – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

465. राधेश्याम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

466. गंगा– श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

467. विक्रम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

468. करण कुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

469. महेश, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

470. सुमिता, तुमीडीह – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

471. राखी – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

472. कविता, – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

473. बालि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

474. एस.एस. कुमार – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

475. करण – विरोध।

476. राहूल – विरोध।

477. हरेश्वर – विरोध।

478. लोकेश, सराईपाली – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

479. रूपेन्द्र, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

480. योगेश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

481. दीपक – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

482. गोपाल, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

483. परमानंद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

484. मोहम्मद – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

485. राहूल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

486. तुलसी, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

487. अंश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

488. छबि – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

489. शुभम – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

490. भुवन – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

491. बल्लब – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

492. कैलाश – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

493. संतोष, तराईमाल – श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

494. सविता रथ, बरलिया – आपने आज जिस पर्यावरणीय जनसुनवाई के लिये आयोजन किया है आपके आमंत्रण में हम टीका–टिप्पणी, सुझाव, ई.आई.ए. साथ लेकर हिन्दी समरी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुये है। मैं आपको यहा 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना की अवहेलना को देखते हुये और जिस तरीके से आज की जनसुनवाई में अभी तक जिला प्रशासन बैठा है और एक भी कोई यहां पर वक्ता नहीं है उस स्थिति में इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर देनी चाहिये क्योंकि अभी का हम समय अगर देखे तो 12 बजकर 25 मिनट हो रहा है और पण्डाल पूरे तरीके से खाली है, इसका मतलब इस जनसुनवाई को एक तरीके से सामुदायिक रूप से इसको बहिस्कार माना जाये। और जब लोग नहीं है, जन नहीं है तो किसकी सुनवाई तो जिस तरीके से यहां लोग नहीं है, महिलाये नहीं है, सीधे पर्यावरण से प्रभावित किसान नहीं है, आदिवासी समुदाय नहीं है उस आधार पर आज मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के

विस्तार एम.एस. इंगाट्स बिलेट उत्पादन को मौजुदा जिस तरीके से रोलिंग मिल की स्थापना के लिये स्वीकृति हेतु आज लोकसुनवाई रखी गई है इस आधार पर आज ये जनसुनवाई अपने आप में निरस्त माना जाना चाहिये। इस कार्यकारिणी सारांश में जिस तरीके से इन्होने बना कर दिया है ये पूरी तरीके से जो ई. आई.ए. है कापी पेस्ट है। अब तक की जितनी भी जनसुनवाईयां हुई है केवल कम्प्यूटर में केवल कंपनी और संस्था का नाम अलग कर दिया गया है बाकि वही ई.आई.ए. इसमें है। इसमें आपके मैं पुनः बताना चाहुंगी कि हम जहां है वो अनुसूची पेशा क्षेत्र है और इस अनुसूची पेशा क्षेत्र में ग्रामसभा की अनिवार्यता बहुत आवश्यक है और ग्रामसभा की अनुमति किसी भी किस्म की नहीं ली गई है, वही पर 50 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति यहां नहीं हुई है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदया आपको मैं बता दूं हम जहां खड़े है इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में जो तराईमाल ग्रामपंचायत है ये देश ही नहीं पूरे विश्व में देखा जाये तो एक आदिवासी ग्रामपंचायत के अंदर 60 से. अधिक औद्योगिक पहले से इस क्षेत्र में है, औद्योगिक पार्क बनाया गया है जहां छोटे–बड़े 60 उद्योग यहा है। इसके साथ–साथ आपको चौकाने वाले तथ्य सामने रखुंगी कि यहां जिंदल इंजिनीयरिंग कॉलेज है, औद्योगिक पार्क के अंदर तो आप सोचिये की किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन लगातार चल रहा है उसके बीच में, उस कालेज के बीच में उस कॉलेज के बच्चो के बीच में स्वास्थ्य को देखते हुये अन्य किसी भी जो नये परियोजनाये है उसको किसी भी हालात में आप अनुमति ना दिया जाये। जिंदल इंजिनियरिंग कॉलेज को या तो हटा दिया जाये वहा से आने वाले हमारे भविष्य, युवा पीढ़ी जो पढ़–लिख कर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे है और उस सपने को साकार जब करने के लिये मॉ–बाप अपना ज़मीन–जायदात सब बेच कर अपने बच्चे भेजते है और हम इन सतत् उद्योगो को विस्तार या नई स्थापना करते जायेंगे। बच्चो के ना तो स्वास्थ्य की जांच हुई है और ना ही उस संस्थान को हटाया गया है, तो किस आधार पर किसी नई परियोजना को इसके सामने रखा जाये। आपको बता दूं इस पूरे क्षेत्र में 40 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र है, इन आंगनबाड़ी केन्द्रो में छोटे बच्चे है जिन्हे गर्म, ताजा पका भोजन देने के लिये शासन को आदेश है, वो फ्लाई ऐश का बहुत बड़ा मामला है और जहां–जहां कोयला जलेगा वहां–वहां फ्लाई ऐश इकट्ठा होगा और फ्लाई ऐश का निस्तारिकरण जिस तरीके से एन.जी.टी. के आदेशों का उल्लंघन या पर्यावरण विभाग जो करते आ रहा है उस आधार पर यहां पर और किसी अन्य उद्योग को नहीं रखना चाहिये। जब तक फ्लाई ऐश का सही तरीके से उसको व्यवस्थित ढंग से भण्डारण या उसको दबा देना कोई भी उपाय करके फ्लाई ऐश को कम नहीं करेंगे। फ्लाई ऐश में 19 प्रकार के हमारे रीसर्च के अंदर उसमें अलग–अलग हैवी मेटल पाया जाता है जो हमारे आंखो को, गर्भवती महिलाओं को, हमारे बालो को, हमारे स्कीन को, यहां तक कि स्तनधारी जीव–जन्तुओं के साथ–साथ महिलाओं में अत्यधिक गर्भासय के कैंसर के मरीज यहा निकल कर आ रहे है। आपको बता दूं यहा केवल कॉलेज, आंगनबाड़ी नहीं है, प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल

और हाई स्कूल भी है, वहां के बच्चो के सेहत के साथ खिलवाड़ ही होगा अगर कोई नई परियोजना को हम स्वीकृति दे, तो जिस आधार पर यहा की सामाजिक और भौगोलिक संरचना है उसको इस पर्यावरणीय जनसुनवाई में बेहद बारिकी से अध्ययन करने के पश्चात ही किसी नई परियोजना को स्वीकृति, अनुमति मिलनी चाहिये। आपको बता दूं कि ये जो पुरा क्षेत्र है अनुसूची पेशा 5 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां जो जो बड़ा जनसंख्या है वो आदिवासी समुदाय का है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के रोजगार से जुड़ा मामला है। रोजगार किस किस्म की है जो सम्मानित रोजगार की मैं बात कर रही हूँ वो रोजगार है भारी मात्रा में वनोपज संग्रहण। वनोपज संग्रहण के अलावा यहा अच्छी किस्म की कृषि, तिलहन, दलहन और अनाज की उत्पादन होती रही है वही साथ ही पशुपालन एक, महिलाओं के हाथ में रोजगार का एक सम्मानित बड़ा एक पैसा आता रहा है जो इन सतत् औद्योगिकीकरण के कारण अभी उस वनोपजो के मात्रा में और क्वालिटी में भारी अंतर आ गया है, चाहे तेंदुपत्ता का मामला हो अच्छे क्वालिटी का, चाहे आपका चार, महुआ, तेंदु की बात हो, चाहे यहां के जो घास है, जो रस्सी बनाये जाते है, झाड़ु है, चटाई है, यहां कंद–मुल है वो कही ना कही यहा खत्म हो रहे है। कल की जनसुनवाई में मुझे शर्म आ रहा था सुनते हुये कुछ बांते हो रही थी कि रायगढ़ जिले की पहचान जो है वो औद्योगिंकीकरण के लिये पहचान है। आपको बता दूं कि रायगढ़ की अपनी एक बड़ी भारी संस्कृति रही है यहां के आदिवासी राजा चाहे ललित सिंह हो, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे राजा चक्रधर सिंह हो ये कला की नगरी के रूप में जाना जाता रहा, ना कि औद्योगिकी कचड़े के कारण कचड़े का डंप के नाम से अभी पहचान बन रही है। इससे पहले यहां सेठ किरोड़ीमल हुआ करते थे जिनकी दान और दयाशीलता के कारण आज जितनी भी जिला प्रशासन की जितने भी सरकारी ऑफिस है वो उनकी बनाई हुई हो चाहे नेत्र चिकित्सालय हो, चाहे आपका कलेक्ट्रेड का भवन हो, चाहे गौरीशंकर मंदिर हो, चाहे जुटमिल हो, तो जुटमिल का कभी कोई विरोध नहीं किया। उस स्थिति में यहां आज जो पहचान की बात कर रहे है, रही रोजगार की बात कितने लोगो को रोजगार यहां स्थाई तौर पर मिल रहा है। आप बताईये यहा पर रोजगार पंजीयक कार्यालय है वहा का आप लिस्ट उठाकर देख लीजिये एक भी महिला को स्थाई सम्मानित रोजगार नहीं मिला है। लोग बोल रहे है कि आपको आता नहीं है, हां जी हमको नहीं आता और इसलिये नहीं आता क्योंकि विगत 20 सालो से आप हमारे छाती में कोदो दरे, यहां के सारे संसाधन लिये, यहां का सारा पानी लिया, यहा का बिजली लिया, यहा का कोयला लिया, यहा के संसाधन खाये लेकिन आपने किसी भी महिला को तकनिकी रूप से संस्थान खड़े नहीं किया, ये हमारी गलती नहीं है कि हम बोल रहे है। हमारी महिलायें उनके संसाधन एक तरीके से आपने खत्म कर दिया और दूसरी तरफ नये संसाधन, स्थाई रोजागर आपने पैदा नहीं कर पाया, आप असफल रहे, चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो, चाहे वो औद्योगिकी टीम की बात हो, तो आप क्यों नहीं सोच पाये कि अगर आज हमारे बच्चे मजदुर इसलिये है क्योंकि आपने ऐसे कॉलेज, ऐसे तकनीकी रूप से

प्रतिष्ठान पैदा नहीं किया जिसमें हम इंजीनियर पैदा कर पाते है हमारे बच्चो को। हम तो 2 वक्त की रोटी शांति से खा रहे थे उसको भी निपटा ही डाले। तो अब किसी नये उद्योगो को क्यों जरूरत है कि पूर्व में जो उद्योगों की जो शिकायते है उसकी जांच पहले होनी चाहिये, इसके अलावा जो पूर्व के जिला पर्यावरण अधिकारी साहब लोगो का ये शिकायत रहा कि हमारे पास जॉच की ना तो उपकरण है और ना ही टीम है। जब आपके पास जॉच की कोई टीम नहीं है तो आप किस आधार पर कितने सारे उद्योगो को विस्तार दे रहें है, कौन जांच करेगा। सामुदायिक निगरानी की जब बात आती है तो आप शिकायत सुनेंगे नहीं, ग्रामसभा के प्रस्ताव को अहमियत देंगे नहीं। आपको बता दूं कि पूर्व जिला कलेक्टर साहब ने पिछले रायगढ़ जिले का जो 62 करोड़ का जिला खनिजन्यास की राशि की बात कह रहे थे, इस साल वो 65 करोड़ यानि 03 करोड़ रूपये अधिक रायगढ़ में कोयला केवल, उद्योग की बात छोड़ दीजिये कोयला खदान में वो पैसा आया तो क्या आपके जिला पर्यावरण अधिकारी महोदय के यहा स्टॉफ नहीं रखा जा सका, क्या हमारे यहा एम.एस.सी. कैमेस्ट्री, फिजिक्स के लड़के बच्चे नहीं है रायगढ़ के अंदर, क्यों ये ई.आई.ए. आकर दूसरा बना रहा है, क्या हम नहीं बना सकते थे ई.आई.ए. को, हमारे बच्चे नहीं बना सकते थे, क्या हमारे ग्रामपंचायतो में हायर एजुकेटेड बच्चे नहीं है। अगर उसको आपने सही तरीके से तकनीकी ज्ञान जैसे खड़गपुर आई.आई.टी. है वैसे आप बनाकर बता दीजिये की हां आपके कारण बहुत विकास हुआ है। एक उद्योग है जो हॉस्पिटल किये है तो वो उद्योग आये दिन लाश को पैसे के लिये बंधक बनाकर रखते है, फिर जिला कलेक्टर गिड़गिड़ाते है कि छोड़ दो। कही सरकारी आदमी की दुर्घटना में मौत होने के बाद लाश को उन्होने बंधक बनाया ऐसे हॉस्पिटल की हमे क्या जरूरत जो हमे ना मिले। सबसे ज्यादा 62 करोड़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अंदर इकट्ठा हो रहा है जिला खनिजन्यास की निधि तो हमे अन्य जगह से आय के श्रोतो को क्यों देखना चाहिये। क्यों रोजगार मूलक स्थाई खास करके आदिवासी महिलाओ में आदिवासी मूल प्रभावित और आंशिक प्रभावित में अंतर करते हुये ये रोजगार के आयाम खड़े क्यों नहीं किये और नहीं खड़े किये तो ये आपकी गलती है, जिला प्रशासन की कमजोरी है। उद्योग हमारे ऊपर और समुदाय के ऊपर हावी होने की जिस तरीके से कल कोशीस कर रहे थे वह बेहद शर्मनाक है मैं इसकी खुले दिल से निंदा करती हूँ क्योंकि आपके आने से केवल प्रदूषण बढ़ा है, कही कोई स्थानीय सम्मानित रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाये, ना स्कूल करा पाये, ना कॉलेज करा पाये, ना हॉस्पिटल करा पाये। जब हमारे पास खुद की इतनी बड़ी राशि है तो आपके पैसो की जरूरत नहीं है। कल ये भी बात बोला जा रहा था कि हमने ये किया, हमने वो किया। माना आप बहुत बड़े दानसिंह है लेकिन कोविड के समय में 2 साल तक लगातार रायगढ़ सबसे सामाजिक जनसंगठनों में अग्रणी रहा है, जो सामने आया और रास्ते में चलने वाले चाहे वो प्रवासी मजदुर हो और उन मजदुरों को जैसे ही आपने कोविड का ऐलान सुना तत्काल गाड़ियों में जानवरों की तरह लोगो को, मजदुरों को रातो रात आपने भगा दिया। ये आपका चाल, चरित्र

और चेहरा है हम पिछले 22 सालों से देख रहे है तो आप हमे सीखाने की कोशिस नहीं करें। हम ई.आई.ए. पर आते है, ई.आई.ए. पर जिस तरीके से ये कापी पेस्ट हुआ है, ये पानी कहा से लायेंगे, पानी के लिये क्या भू–गर्भ जल का उपयोग करेंगे, ये कहते है कि प्रत्यक्ष रोजगार, परिवहन, सहायक विकास में 100 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है, ये कन्फर्म नहीं है, संभावना है, 100 लोगो को इस परियोजना में नौकरी मिलेगी वो केवल संभावना व्यक्त कर रहे है, जरूरी नहीं है कि ये 100 लोगो को रोजगार दे–दे। सड़क, बाजार, हैण्डपंप की स्थपना, खोदे गये कुएं की बुनियादी ढाचों में सुधार करेंगे। पी.एच.ई. बोल रहा है कि 130 फीट गहरा पानी चला गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल भू–गर्भ जल का पेय जल और कृषि के लिये उपयोग होना था, आज आप उसमें उद्योग चला रहे है तो कहा से आप हैण्डपंप और कुआं को खोदकर आप पानी सुधार लेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, सारे जो सरकारी योजनाऐ है जो हमारी मूलभुत है वो सब इनके पेपर में लिखा हुआ है, मतलब ये जुड़े हुये सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल ये सारी चिजे अब ये करेंगे हमें हमारे विभागों को बंद कर देना चाहिये। तो इन तमाम मुद्दो को रखते हुये आज की ये जनसुनवाई चूंकि मेरे पिछे पुरा खाली है, मैं शायद अकेली वक्ता हूँ और जिस तरीके से ये जनसुनवाई बिना लोगों के किया जा रहा है, लोगो ने इसको बहिस्कार किया है, इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करके इसके पुनः जनसुनवाई की तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है। इन्होने बताया है कल के एक रूपानाधाम वाले में कि इन्होने सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की जो लगाई थी ये पुरा उन्होने कागज दिया है अलग–अलग विभागों का ये सुरक्षा जनता के लिये है पुलिस, इनके लिये क्यों? किसी भी संसाधन के जनसुनवाई में आप जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को लगातार पुरी व्यवस्था के साथ दे रहे है यहा एक भी हिंसा आज तक नहीं हुआ है ये मेरा सायद 103वां या 104वां जनसुनवाई में मेरा प्रस्तुतिकरण है। आपको बता दूं ये कागज आप पकड़िये और जितने भी यहा पुलिस के ऑफिसर है जो इनका यहा लिस्ट है, इनको ये दोनो जनसुनवाई में अतिरिक्त काम का हमारे काम आते वो यहा पर ड्यूटी कर रहे है, महिलाओं को यहा पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है इन सबको अतिरक्त कल का और आज का आप दे दीजिये। इस तरीके से जिला प्रशासन और जनता के लिये पुलिस है उसको निजी उद्योगो के जनसुनवाई के लिये ना किया जाये। ये जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैध है और अवैध जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करने की धोषणा करें।

495. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आज की जो जनसुनवाई है कल भी हमने जो मुद्दे उठाये थे कि देश के आर्थिक विकास के लिये उद्योगो की आवश्यकता है और लोगो को रोजगार के अवसर भी उद्योगो से मिलते है, परन्तु हमारे विकास के दावे है कि जो विकास के साथ–साथ लोगो के बुनियादी जीवन में अंतर आना चाहिये उन पर किसी भी प्रकार का सरकार का अपना विचार नहीं होता। जब रायगढ़ जिले में पहली कोल माईस तो लोगो ने रैलियां और जुलूस निकाल कर स्वागत किया और उनको ये आस्वस्थ किया गया कि

उद्योग स्थापित होगा अगर माइंस आयेंगीं तो रायगढ़ का विकास होगा, परन्तु 1994 से अब तक देखे तो आज के 20 साल पहले जो रायगढ़ जिले का इन्फ्रास्ट्रक्चर था आज उन इन्फ्रास्ट्रक्चर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, वही सड़के, वही स्कूले, वही स्वास्थ्य और मुझे लगता है कि आर्टिकल 21 जो हमको बुनियादी जीवन जीने का अधिकार देता है वो कही ना कही हमारा उल्लंघन है। रायगढ़ जिले की सड़को की हालत देख लीजिये। उद्योगो का जितना भी सी.एस.आर. का पैसा है वो पुरा रपोट के, खरोच के कलेक्टर साहब अपने पास रख लेते है। एकं भी आदमी उद्योग के पास जाता कि मेरे गांव में पेय जल का संकट है बोर का पंप जल गया है उसको बनवा दीजिये तो उद्योग का कहना ये होता है कि हम तो सी.एस.आर. का पैसा प्रशासन के पास जमा कर दिये। 2015 से लेकर अब तक डी.एम.एफ. का 356 करोड़ रूपये आपके जिले के अंदर एकत्रित हुये और उसमें जो प्रावधान है नियम है कि जिला खनिजन्यास का जो पैसा है वो कोयला प्रभावित क्षेत्र है वो 25 किलोमीटर के अंदर खर्च किया जाना चाहिये। लंबी लड़ाई के बाद अभी कुछ दिन पहले हमको जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली और अब तक हम जो वेरिफाई कर पाये उस वेरिफाई के मुताबिक गांव के लोगो को ये ही नहीं मालुम कि उनके गांव में जो काम हुआ है वो डी.एम.एफ. का है या रोजगार गारंटी का है या प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य किसी योजना का है। मुकेश बंसल साहब जब तक कलेक्टर थे तो रायगढ़ जिले में उद्योगो की एकं सामुहिक बैठक होती थी जितने लाईन डिपार्टमेंट के लोग होते थे, कुछ मिडीया के लोग होते थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते थे उसमें एक जिले की कमेटी होती थी, उन कमेटी के साथ बैठक करके जिले की जो बुनियादी समस्या है पानी की, सड़क की, स्कूल की उन मुद्दो का समाधान होता था, पर अभी ये देखा गया कि रायगढ़ जिले के अंदर कमेटी कोई ऐसी है ही नहीं। डी.एम.एफ के अंदर प्रावधान है कि जो जिला खनिजन्यास का जो कलेक्टर अध्यक्ष होते है उसमें जो सर्वसम्मत से निर्णय होंगे उस आधार पर बजट की स्वीकृति होगी और वो पैसा जमीनी स्तर पर खर्च किया जायेगा, परन्तु अभी जिले के अंदर हम देखे कि जो निर्णय जिले के डी.एफ.एफ. में हुये उसके लिये पैसे स्वीकृत नहीं हुये बल्कि कलेक्टर ने अपने इच्छा मुताबिक जिस मद में जहां वाहा वहां उन्होने उस पैसे को खर्च कर दिया। हम ई.आई.ए. बनाने की जब बात करते है, ई.आई.ए. बनाने वाले जो एजेंसी है वो पुराने मित्र है। 35-40 उद्योगों का ई.आई.ए. उन्होने बनाया, परन्तु सभी ई. आई.ए. को आप देखे तो वो कट–इन–पेस्ट रहती है, जो नियमतः जनसुनवाई होने के पहले पर्यावरण अधिकारी और पीठासीन अधिकारी को सरसरी तौर पर ना केवल पढ़ना चाहिये बल्कि स्थल का जो बुनियादी चीजे है उनको देखना भी चाहिये और मुझे लगता है कि उस आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को रिपोर्ट जाये तो उस पर कुछ होना भी चाहिये। एन.जी.टी. का अभी 24 तारीख जो पिछले शिवपाल भगत वर्सेस सरकार का केस लगा है 03 बार एन.जी.टी. की टीम रायगढ़ में आई फ्लाई ऐश के मुद्दे को और सड़क के मुद्दे पर राज्य सरकार को ना केवल धमकी दी बल्कि उन पर जुर्माने भी लगाये,

परन्तु देखा ये गया कि एन.जी.टी. के नियमों का भी जमीनी स्तर पर किसी भी प्रंकार का पालन नहीं हो रहा है। नदी के किनारे आप फ्लाई ऐश देख ले, सड़कों के किनारे आप फ्लाई ऐश देख ले, लोगों के खेतो में, खलिहानों में देख ले और जब हम विकास की बात करते है तो, मैडम एक जानकारी आप सभी उद्योगों से मंगवा लीजिये कि जो रायगढ़ जिले के रहने वाले है, नौजवान लोग है किन–किन उद्योगों में कितने प्रतिशत लोगो को नौकरी मिली है, तो आपको जानकारी बता दूं कि अभी रोजगार पंजीयन कार्यालय में अगस्त महिने में 2 लाख 80 हजार रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग है और जब उद्योगों की जानकारी हमने उद्योग विभाग से निकाला तो 0.25 प्रतिशत स्थानीय लोगो को नौकरी मिली है ये सच्चाई है, हकीकत है। राज्य सरकार के नियम भी है कि अगर स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगो को रोजगार दिया जायेगा तो उनको बुनियादी तौर पर दुनियाभर की सुविधाओं और छुट मिल जाती है उसका कुछ बजट लोकेशन भी उनको मिलता है। इसके बाद भी स्थानीय लोगो को रोजगार नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगो के साथ अन्याय हो रहा है। एन.जी.टी. के आदेश पर जुलाई 2021 में स्वास्थ्य परीक्षण जो सुचना के अधिकार में मुझे अभी जानकारी मिली, कैंप जहां लगाये गये बुनियादी तौर पर वहा प्रचार–प्रसार हो, लोगो को जानकारी दी जाये, एक डाक्टर, एक नर्स, एक कंम्पाउंडर जाकर किसी स्कूल या पंचायत भवन में बैठ गये और गांव के लोगो को पता ही नहीं की हो क्या रहा है, जो कि रायगढ़ जिले में आज के डेट में लगभग 12–14 प्रतिशत कैंसर के मरीज है और दुर्भाग्य यह है कि उसमें से 8 प्रतिशत महिलाओं को कैंसर हो रहा है, गर्भासय कैंसर सबसे ज्यादा निकल रहे है, सीने के कैंसर हो रहे है, स्किन कैंसर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एन.जी.टी. के भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है इसके बाद भी अगर स्वास्थ्य परीक्षण लोगो के नहीं हो पा रहे है तो ये एक तौर से लोगो के जो अधिकार है उसका कही ना कही हनन है। ई. आई.ए. जो बनाने वाले लोग है, आज लगभग मैं 106 जनसुनवाईयों में रायगढ़ जिले में प्रजेंटेशन किया, देश के अलग–अलग राज्यों में भी किया। वास्तव में ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी से ईमानदारी से आप पुछ लीजिये ये गांव जाते ही नहीं, इनका जो 2011 का या 2001 का सेंसेक्श है उनको उठाते है और उन सेंसेक्श को सीधे–सीधे डाल दिया जाता है, और 2011 की जनसंख्या और 2021 की जनसंख्या, 2011 की उस गांव की जो बुनियादी डिमांड थी जो उनको वाहिये था और अभी 2021 की। आंगनबाड़ियों के हेल्थ का कोई अध्ययन नहीं है। लगभग 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर देखे तो 40 से ज्यादा आंगनबाड़ी है, 20 से ज्यादा प्राईमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल लगभग 15 है और 6–7 हॉयर स्कूल है। यहा के बच्चों का ना ही डाटा है और ना तो कोई स्वास्थ्य परीक्षण। 2015 का केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय का निर्देश है कि किसी कंपनी की जनसुनवाई ई.आई.ए. बनाने के पहले एस.आई.ए. बनाना पड़ेगा सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट। आप देखीये ई.आई.ए. में सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट का एक भी पन्ना लगा है क्या और सोशल इंपेक्ट जो रिपोर्ट है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे रायगढ़ के कंपनी की बात छोड़

दे किसी अधिकारी को भी नही मालूम है कि सोशल इंपेक्ट अंसिसमेंट रिपोर्ट कैसे बनेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमने प्रशिक्षण किया तो उन्होने बताया कि अगर मॉ के पेट में गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है एक उसका सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट बनेगा, जो बच्चे 2 साल, 3 साल के है उनका बनेगा, फिर उसके घर में जो पति–पत्नी है उनका बनेगा, फिर जो उनके बुढ़े है उनका बनेगा और फिर वो सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट प्रत्येक परिवार का ग्रामसभा में जायेगा। ग्रामसभा उसको वेरिफाई करना चाहिये, अनुमोदन करना चाहिये इसके बाद वह पर्यावरण विभाग में जमा होगा तब उनको टर्म ऑफ रिफरेंस मिलना चाहिये, इसके बाद वो ई.आई.ए. बनायेंगे, और ये जो पुरी प्रक्रिया है ये लगभग एक ई.आई.ए. बनाने के पहले की प्रक्रिया है ई.आई.ए. बनाने तक कम से कम 6 महिने का समय होना चाहिये। क्योंकि 02–02 महिने का हर सीजन का आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन रिपोर्ट लेना है। तो जब ग्राउण्ड लेबल पर कोई इंस्टुमेंट नहीं लगे और हम कहते है कि ई.आई.ए. बनाने वाली ठीक है पूरे गांव को नहीं जानते, परन्तु उस गांव के चौकीदार को, सरपंच को, गांव के पंचायत सचिव को, और पुछ लीजिये अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर आपने ई.आई.ए. बनाया, अध्ययन किया है तो आप इन 10–12 पंचायतों में से 03 ग्रामपंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक का नाम बता दीजिये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिये, स्कूल के हेड मास्टर का नाम बता दीजिये। तो मुझे लगता है कि एक निश्चित तौर पर रायगढ़ जिले में लोगो के साथ धोखा हुआ है। एन.जी.टी. ने अपने शिवपाल भगत में ही कहा है पर्यावरण अध्ययन की जिम्मेदारी नागपुर की एक संस्था निरी है उसको दिया गया था। लगभग 32 लाख रूपये का राज्य सरकार ने बजट भी उन्होने 2 करोड़ 32 लाख का लगभग बनाया था, इसके बाद उन्होने 02 साल का समय मांगा, राज्य सरकार ने कहा कि 02 साल हम समय नहीं दे सकते, रायगढ़, रायपुर और कोरबा 03 जिले का अध्ययन करना था, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदारी दी गई आई.आई.टी. खड़गपुर, खड़गपुर ने भी अपना बजट भेजा और उन्होने भी बहुत ज्यादा समय मांगा, अभी आई.आई.टी. भिलाई को ये जिम्मेदारी दी गई है कि रायगढ़ जिले का जो पर्यावरणीय अध्ययन है वो अध्ययन करेगा और वो रिपोर्ट राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और खास करके एन.जी.टी. को देगा इसके बाद किया जायेगा तो जमीनी स्तर पर देखा जाता है कि जो कोर्ट के भी आदेश है वो कही ना कही ग्राउण्ड लेबल पर उनको फालो भेज दिया जाता। केन्द्रीय पाल्यूसन बोर्ड की एक टीम आई थी और उसके साथ खड़गपुर की टीम आई थी उन्होने अपने साथ मुझे भी रखा था, तराईमाल क्षेत्र का उन्होने अध्ययन किया था, और जो पूंजीपथरा में जे.आई.टी. बना है उनके रिपोर्ट में लिखा गया है कि या तो यहा से उद्योगो को हटा दिया जाये, या कि यहां से जो इंजिनियरिंग कॉलेज बना है, जहां बच्चे पढ़ते है उनको हटा दिया जाये क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव प्रदूषण की वजह से पड़ रहा है और यहा जो बच्चे पढ़ते थे वो खाना खाते–खाते कभी बेहोस हो जाते थे, कभी पढ़ते–पढ़ते बेहोस हो जाते थे, कही ना कही ब्रेन में जो दबाव

पड़ता है उस तरीके की बीमारी निकली। 04 लोगो को मैं स्वतः जानता हूँ जिनको रायगढ़ के एक हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया और डॉ. प्रकाश मिश्रा से कभी बात करीयेगा वो तीनो केस उस हॉस्पिटल के है उन्होने कहा पाल्यूसन की वजह से लोग इतने ज्यादा दबाव में आ रहे है की इनको ब्रेन हैमरेज जैसे एक झटके पड़ रहे है और उसकी वजह से ये बेहोश हो रहे है और उनके मस्तिष्क के नस में ब्लड के थक्के जमा हो रहे है और इसके बावजुद भी पर्यावरण विभाग ये कहे कि रायगढ़ जिले में प्रदूषण नहीं है। अभी मैं सड़क के माध्यम से आ रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि रायगढ़ में आप यहा से लेकर रायगढ़ तक जाते है तो मेरे घर के लोग मुझे तो नहीं पहचानते है अगर दिन डुबने के बाद मैं जाता हूँ और घंटी बजाता हूँ तो निकलते है और बोलते है कौन है और ये 02, 04, 05 बार मेरे साथ हो चुका। गांव के लोग नदियों का उपयोग करते है निस्तार के लिये अपने गांव में जो तालाब है नाले है उनका उपयोग करते है, परन्तु आप यहा से देखे केलो डेम के ऊपर, जितने उद्योग है उनका सब का गंदा पानी नाले के माध्यम से केलो नदी में जाता है और रायगढ़ शहर की जो साढ़े पांच लाख आबादी है उनमें से हम, आप, सब उस पानी का निस्तार करते है, पीने के रूप में लेते है। तो हमारा कहना यह है कि जो हमारा विकास का जो मॉडल हो, हम विकास किसके लिये करना चाहते है, देश के लोगो के लिये विकास का मॉडल चाहिये, और हमारे देश और रायगढ़ के लोग अगर इस मॉडल से बीमार पड़ते है, अस्वस्थ होते है। आप कभी मुड़ागांव जाईये, मुड़ागांव एक ग्रामपंचायत है जहां 200 मीटर तक पानी अच्छा है पीने का और जब उसके बगल में कोल माईंस खुली और कोल माईंस डिप में गया, 500 मीटर में गया और इसके बाद गांव के लोगो को सरकार ने बोर को और गहरा कर दिया। फ्लोराईड की वजह से 90 प्रतिशत मेरे साथी मुड़गांव के आये हुये है पिछे बैठे हुये है, 90 प्रतिशत जो लोग है उस गांव के कुबडे हो गये, बच्चे, बच्चियों की हाईट नहीं बढ़ रही है, उन बच्चों के दांत पूरे काले पड़ जा रहे है, तो हमारा यह कहना है पहले मुकेश बंसल साहब कलेक्टर थे काफी संवेदनशील कलेक्टर थे, जब उनको मैं एक बार लेकर गया गांव के लोगो से बात करवाया उन्होने एक फिल्टर प्लांट है जो मुड़ागांव में और एक सराईटोला गांव में 01–01 लगवाया। उस फिल्टर प्लांट में दुर्भाग्य यह था कि उनके आदेश के बात जब काम चालु हुआ तो मुकेश बंसल साहब का स्थानांतरण हुआ और फिर उसके बाद जो उसमे भ्रष्टाचार हुआ कि टंकी से पानी का जैसे ही स्टाटर दबाओं तो पहली बार मोटर जल जाये, दूसरी बार पाईप फट जाये और आज भी मुड़ागांव के साथी बैठे है उस गांव में लोगो को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये हम देखते है कि किस तरीके से लोगो का बुनियादी जीवन पर लोगो की खादय सुरक्षा, लोगो के स्वास्थ्य पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है और ये जो जनसुनवाईयां हो रही है ये कोई विरोध का मंच नहीं है और ना ही ये समर्थन का मंच है। ये जो मंच है जो ई.आई.ए. बनी है, ई.आई.ए. बनाने वाले एजेंसी ने एक अपनी रिपोर्ट बनाई है आम जनता के बीच उन्होने रखा है और रखने का मतलब यह है कि लोगो का सुझाव लिया जाता है ये सुझाव

यहां से जो बन के जांयेंगे फाईनल ई.आई.ए. इसके बाद बनेगी और फिर वो केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय है जो समुदाय के लोगो ने कुछ प्रश्न यहा किये है उसका जवाब ई.आई.ए. बनाने वाले से लिया जायेगा और उसके बाद पर्यावरण स्वीकृति देने का निर्देश है, और वहां भी हमने देखा केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के कमेटी की बैठक होती है, 02 घंटे में 32 प्रोजेक्ट का क्लियरेंस हो गया, यानि कोई आदमी कागज भी देखने के लिये तैयार नहीं है कि हमारे पास जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये प्रोजेक्ट आया है उसमें क्या चीजे हमको करनी है और जब हम उन्हीं केसो को एन.जी.टी. लेकर चले गये तो जो पर्यावरण सचिव है केन्द्रीय पर्यावरण सचिव उनके कान खड़े हो जाते है कि ये लोग घसिट देते है और हम लोग इसी बात के लिये बदनाम है, पूरे देशभर में हम लोग इसी बात के लिये बदनाम है। आप बताईये एक माईंस में 14 गांव इफेक्टेड है, लगभग वहा की 12,000 आबादी है, केवल 54 लोगो ने जनसुनवाई में अपनी बाद रखी, 54 लोगो में. से 50 लोगो ने सहमती जताया और 4 लोगों ने विरोध जताया और उस माईंस के अनुमति केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय से उनको मिल गई तो फिर उन्होने देखा क्या? क्यो लोग नही आये, क्या वजह थी, क्यों अपनी बात रख नहीं पाये और फिर अभी 08 अगस्त 2022 में आपका पेशा एक्ट कानून लागु है और वो सभी विभागों को मानने के निर्देश भी है तो जो आर्टिकल 244(1) है उसमे सीधा–सीधा लिखा है कि आप बिना ग्रामसभा के अनुमति के बगैर कोई भी गतिविधिया सरकारी और गैरसरकारी उस गांव में संचालित नहीं कर सकते तो उसको भी कही ना कही हम मानने के लिये बाध्य नहीं है और होना यह चाहिये कि आर्टिकल 244(1) के तहत ग्रामसभा से इस जनसुनवाई की भी परमिशन सरकार को लेनी चाहिये ना कि कंपनी को, और फिर ग्रामसभा ये तय करेगी 5वहीं अनुसुची क्षेत्र के अंदर कि पेशा एक्ट कानून के अंदर जो नियम कानून है उनको किस आधार पर लागु किया जायेगा, कहां सरकार कर रही है, पंचायत स्तर पर जो अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त है उनको तन्ख्वा निकालने से पहले सहमति का ग्रामसभा से सरपंच देगा वह नियम है। ना तो कोई स्कूल का जाता, ना तो स्वास्थ्य विभाग का जाता, ना वन विभाग का जाता तो हमारे देश में कानून जो बनते है मुझे लगता है कि वो तोड़ने के लिये बनाये जाते है और जो आदमी जितना ज्यादा कानून बना ले, आज अभी एक रिपोर्ट आई कि जो यहां कोयले की चोरी का जो ई.डी. है, ई.डी. के सामने कनक तिवारी पुरा मुह खोल दिया, पूरे बी.जे.पी. और कांग्रेस के बड़े–बड़े अधिकारी नंगे हो गये और लगभग 30–40 लोग जेल जाने वाले है, बड़े–बड़े अधिकारी नप रहे है तो हम लोगो के भी अपने सुत्र है और ये इतना ज्यादा गड़बड़िया जो है, कोयले की जो इतना अफरा–तफरी है, चोरी है, आप पर्यावरण अधिकारी है चलिये मेरे साथ रोड में खड़े हो जाईये, केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश है कि बिना ढके कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी, 90 प्रतिशत आपके जो वाहन है वो खुले जा रहे है खासकर आयरनओर और कोयले के, कौन कार्यवाही करेगा, नियम तो है, कानून तो बने है, एन.जी.टी. ने ये भी कहा है कि जब तक रोड की मरम्मत नहीं हो जाती इस रोड में पानी का छिड़काव

दिन में 3 बार करना अनिवार्य है, हो रहा है क्या?, जहा बस्ती हैं वहा एक टैंकर जाता है थोड़ा छिड़क देते है और निकल लेते है और एन.जी.टी. की टीम सरसमाल में जब कोल माईंस की जांच कर रही थी तब मैं उस समय पर उनके साथ था पर्यावरण अधिकारी को उन्होने निर्देश दिया उस समय जो पर्यावरण अधिकारी थे कि जब तक रोड की मरम्मद नहीं हो जाती तब तक कोल माईंस से लेकर जहा तक आपका कोयला जाता है दिन में 03 बार पानी का छिड़काव करेंगे ये कंडिशन है और देख लीजिये, नही होगा तो तो वो आदेश एन.जी.टी. का मैं आपको दे दूंगा और फालो नहीं हो रहा। फ्लाई ऐश के मुद्दो पर उन्होने कहा कि आप फ्लाई ऐश को अभी एन.जी.टी. ने फिर से जिला प्रशासन को जानकारी मांगी है और साहू साहब के जो पहले वर्मा साहब थे उन्होने भेजा भी होगा कि जो 2 लाख 80 हजार टन आपके यहा फ्लाई ऐश निकलती है उसका निस्तारण आप कैसे करते है आप 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे आपके लिये निर्देश है। मैं भी एक एफिलेटर हूँ, जो आपको आदेश आते है उस आदेश की कॉपी मेरे को भी आती है और एफिलेटर होने के नाते जो फ्लाई ऐश है 5 कंपनी के पास ऐश डाईक है, पर्यावरण क्लियरेंस जो मिला है उसमे साफ–साफ लिखा है कि आपको ऐश डाईक बनाना होगा और मैं आपको नाम जब चाहिये मैं बता देता हूँ, गाड़ी मालिक का नाम बता देता हूँ जिसने फ्लाई ऐश फेका है, कहा फेका है आप कार्यवाही करेंगे क्या, मैं गाड़ी नंबर दे देता हूँ, गाड़ी मालिक का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम दे देता हूँ, कहां फेका गया चलिये उसको भी वेरीफाई करा देता हूँ, आप कार्यवाही तो करीये। जब कार्यवाहियां नहीं होती तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ते है, दुर्घटना का कही कोई अध्ययन नहीं है। हर महिने 73 मौते रायगढ़ जिले के अंदर दुर्घटना से होती है, सड़क दुर्घटना में उनको रोकने के लिये क्या किया जाये? हमने पूर्व एस.पी. साहब को सुझाव दिया था कि गांव–गांव में आप सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाईये जो निर्धारित स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ियां चलती है उन पर आप कार्यवाही करिये, करेगा कौन, हमारे पास वह अधिकार नहीं है, हम करेंगे तो वो बोलेंगे वसुली कर रहे है और आपको अधिकार है आप करेंगे नहीं, तो लोग मर रहे है। मुझे लगता है पीठासीन अधिकारी है इन तथ्यों को देखते हुये एक पीठासीन अधिकारी का सुझाव भी जाता है इन सुझाओं में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुये अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भेजे जिससे लोगो का भला हो, हित हो और पर्यावरण शुद्ध हो और मैं ये कहता हूँ कि उद्योग लगे पर्यावरण के मापदण्डों का पालन करते हुये अगर उद्योग स्थापित होता है तो विकास की प्रक्रिया के साथ–साथ हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होता है तो उन मापदण्डों को जो लाईन डिपार्टमेंट है पर्यावरण विभाग है, उद्योग विभाग है, पी.डब्ल्यू.डी. है, इरिगेशन है, जल संसाधन विभाग है मेरा यह सुझाव है कि रायगढ़ जिले में एक कमेटी बननी चाहिये लाईन डिपार्टमेंट की और वो कमेटी समय–समय पर उद्योगो का निरीक्षण करे और जो लोग उसको वाईलेशन करते है उनके ऊपर कार्यवाही करें मुझे यही बात कहनी थी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 12:15 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया। इसके बांद 01:20 बजे अन्य मुद्दो के तहत पेशा एक्ट के तहत यह एक पूर्व स्थापित कंपनी है। ई.आई.ए. का अध्ययन टी.ओ.आर. के तहत किये गये है। 10 कि.मी. रेडियस के अंदर अध्ययन किया गया है जो कि विधिसम्मत है। आंकड़े 3 वर्ष के पहले के है जो विधिसम्मत है। ऑनलाईन स्टेक मॉनीटरिंग के शर्त का पालन किया जाता है फ्लाई ऐश को सीमेंट प्लांट में बेचा जायेगा। प्रस्तावित उद्योग ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क के अंतर्गत स्थापित है। उद्योग में किसी भी भी व्यक्ति के गंभीर बीमारी होने की सूचना अब तक नहीं आई है।

कंपनी कंसलटेंट श्री अक्षय सिंघानिया जनसुनवाई में उठाये गये प्रमुख मुद्दो पर कंपनी की प्रतिक्रिया इस प्रकार है, सड़क के निर्माण के लिये प्रस्तावित क्षमता हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगायेंगे जिससे परिवहन के कारण से पर यातायात दबाव अत्यंत न्यून होगा, उद्योगो में ट्रको में निर्धारित भार क्षमता से अधिक नहीं होने दिया जायेगा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण उन्नयन हेतु खर्च किया जाना आवश्यक है, सी.एस.आर. के तहत होने वाले कारणो से आस–पास के क्षेत्र के पर्यावरण को संरक्षित करने एवं सुधार हेतु सहायक होगा, इसमें ग्रीन बेल्ट और वाटर स्प्रिंकलिंग का विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में आधुनिक तकनीक पर आधारित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे उच्च दक्षता का बैग फिल्टर प्रयोग किया जायेगा, परियोजना में पार्टिकुलेट मेटर का स्तर निर्धारित मानक 50 मिलीग्राम प्रति घनमीटर से 30 मिलीग्राम प्रति घनमीटर प्रस्तावित है तथा परियोजना से आस–पास के वायु गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। उद्योग के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कठोर मानक का पालन किया जाना प्रस्तावित है तदैव कोई विपरीत प्रभाव अपेक्षित नहीं है। क्षमता विस्तार के तहत कुल 181 रोजगार की संभावना उत्पन्न होगी जिसमें छत्तीसगढ़ शासन की नीति अनुसार अकुशल हेतु 100 प्रतिशत अर्धकुशल हेतु 70 प्रतिशत एवं प्रशासनिक हेतु 40 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगो को योग्यता अनुसार दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के विस्तार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होगा। उद्योग सदैव स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता देता है। पेशा कानून के तहत जनसुनवाई के लिये ग्रामपंचायत का अनापत्ति के संबंध में यह परियोजना नई नहीं है ये क्षमता विस्तार की परियोजना है, स्थापित एवं संचालित इकाई के विस्तार हेतु एवं परियोजना पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में है तदैव संदर्भित कानून के लिये जनसुनवाई के लिये अलग से अनापत्ति का प्रावधान नहीं है। जनसुनवाई का संपादन भारत शासन द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के

तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी टी.ओ.आर. के संदर्भ में किया जा रहा है जो की पूर्णतः विधिसम्मत है। ई.आई.ए. का अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई.आई.ए. अधिसूचना तथा कंपनी हेतु किये गये टी.ओ.आर. के आधार पर किये गये है। कंपनी के लिये ई.आई.ए. अध्ययन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया गया है, इस हेतु 10 किलोमीटर परिधि के पर्यावरणीय घटकों के आधार पर संग्रहण अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है जो की ई.आई.ए. अधिसूचना के अनुसार पूर्णतः विधिसम्मत है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में आंकड़े 03 वर्ष के अंतर्गत ही है, जनसंख्या हेतु भारत शासन के अधिसूचना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ो को प्रयोग किया गया है जो विधिसम्मत है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार टी.ओ.आर. प्राप्त कर, ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को दिनांक 28.02.2022 को जनसुनवाई हेतु ई.आई.ए. की प्रति तथा आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन किया गया है, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से ई.आई.ए. अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित की गई है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस का संचालन पर्यावरण स्वीकृति के तथा जल एवं वायु तथा अधिनियम के तहत सम्मति के आधार पर किया जा रहा है, सम्मति का नवीनीकरण वैध है, सम्मति शर्तो के पालन उपरांत नवीनीकरण प्रदान किया जाता है, साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान क्षमता हेतु प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति का भी पालन किया जाना है। परियोजना में ऑनलाईन स्टेक मॉनिटरिंग, शुन्य निस्सारण के शर्त का अनुपालन किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर, डस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम, ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था की जावेगी एवं फ्लाई ऐश प्रोडक्ट को सीमेंट प्लांट एवं फ्लाई ऐश मेन्युफेक्चरिंग प्लांट को बेचा जावेगा। स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी। उद्योग में किसी भी कर्मचारी के गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने की जानकारी अभी तक नहीं आई है परियोजना में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नगण्य होगा।

सुनवाई के दौरान निरंक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 700–800 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 113 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। तत्पश्चात अपरान्ह 01:30 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(संतन देवी जांगड़े)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)